रजिस्ट्री सं. डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2007, शनिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1929

No. 12] NEW DELHI, JULY 15—JULY 21, 2007, SATURDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2007

का.नि.आ. 39.—केन्द्रीय सरकार, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैन्य संगठन जो केन्द्रीय सरकार की राय में एक डिवीजन से कम नहीं है, की कमान करने वाले निम्नलिखित प्रत्येक अधिकारी को ऐसे अधिकारी के रूप में विहित करती है जिसके द्वारा शक्तियां, जो उक्त अधिनियम के अधीन एक डिवीजन की कमान करने वाले अफसर द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, उवत अधिनियम के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में, जो उसके अधीन सेवारत हैं, प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :–

1. जनरल अफसर कमान, विद्रोह रोधी बल (वी)
2. जनरल अफसर कमान, विद्रोह रोधी बल (डी)
3. जनरल अफसर कमान, विद्रोह रोधी बल (के)
4. जनरल अफसर कमान, विद्रोह रोधी बल (आर)
5. जनरल अफसर कमान, विद्रोह रोधी बल (यू)

[फा. सं. 76229/आर आर/एजी/डी वी-1(पी)/2140/रक्षा (ए जी)]

एस. सी. बर्म्मा, निदेशक (एजी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th June, 2007

S. R. O. 39.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby prescribes each of the following officers commanding a military organisation, which, in the opinion of the Central Government, is not less than a Division, as the officer by whom the powers, which under the said Act, may be exercised by an officer commanding a Division, shall as regards persons subject to the said Act, who are serving under him, be exercised, namely :—

1. General Officer Commanding, Counter Insurgency Force (V)
2. General Officer Commanding, Counter Insurgency Force (D)
3. General Officer Commanding, Counter Insurgency Force (K)
4. General Officer Commanding, Counter Insurgency Force (R)
5. General Officer Commanding, Counter Insurgency Force (U)

[F. No. 76229/RR/AG/DV-1(P)2140/D(AG)]

S. C. BARMMA, Director (AG)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2007

का.नि.आ. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा संपदा (समूह 'ग' और 'घ') भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक इनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय रक्षा संपदा संगठन में आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम : रक्षा संपदा सेवा आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होगा :** ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-II	14*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीयं	5000-150-8000/-रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा । 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-III जिसमें नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण** :--जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—		लागू नहीं होता ।
(1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), रक्षा संपदा	—अध्यक्ष	
(2) उप महानिदेशक (प्रशासन), रक्षा संपदा	—सदस्य	
(3) अवर सचिव, भारत सरकार	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-III	15 * (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है जिन्होंने केन्द्र सरकार

(7)
के अधीन निरन्तर कम से कम 3 वर्ष सेवा की है । **टिप्पण** :-आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये ।

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष ।

(11)	(12)
सीधे भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन) रक्षा संपदा —अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (प्रशासन) रक्षा संपदा —सदस्य (3) अवर सचिव, भारत सरकार, —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 104/7/प्रशासन/रक्षा संपदा/आशुलिपिक ग्रेड-I/446/आर आर/रक्षा (नियुक्ति)/07]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

Revised RRs of Steno - II & III

New Delhi, the 6th July, 2007

S.R.O. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Estates (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III in the Minsitry of Defence, Defence Estates Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Estates Service Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters related theteto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Steno-grapher Grade-II	14* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of deputation or absorption, grades from which deputation or transfer to be made
(11)	(12)
By promotion	**By promotion:** Stenographer Grade-III in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with eight years regular service in the grade after appointment thereto on regular basis.

3070 GI/07-2

	(12)
	Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee Consisting of :— (i) Additional Director General, (Administration), Defence Estates —Chairman (ii) Deputy Director General (Administration) Defence Estates —Member (iii) Under Secretary to Government of India —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Stenographer Grade-III	15* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 years to 27 years (relaxable for departmental candidates upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of Schedule Caste or Schedule Tribe Candidates who have rendered atleast three years continuous service under the Central Government. **Note.**—The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
(1) Matriculation from recognized Board or Institution or equivalent. (2) A speed of 80 w.p.m. in Stenography (English or Hindi).	Not applicable	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
By Direct recruitment. **Note.**—Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under	Not applicable

(11)	
other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.	

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee Consisting of :— (i) Additional Director General, (Administration), Defence Estates —Chairman (ii) Deputy Director General (Administration) Defence Estates —Member (iii) Under Secretary to Government of India —Member	Not applicable.

[F. No. 104/7/ADM/DE/Steno Gde-I/446/RR/D (Appts.)/07]

V.A. CHAVDA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.